निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 548/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

जाकिर हुसैन पुत्र छोटू खां, निवासी डी–135, कैलाश मार्ग, वनीपार्क, जयपुर अधिकृत निदेशक नाथा आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय जी–106, सी रीको इंडस्ट्रियल एरिया, मानसरोवर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर।
2. श्री तेजाराम दत्तक पुत्र चौथूराम,
3. श्री ताराचंद सैनी पुत्र श्री मंगलराम,
4. श्री भीमराज सैनी पुत्र श्री मंगलराम,
5. श्री अर्जुन लाल सैनी पुत्र श्री मंगलराम,
6. श्री रामनारायण सैनी पुत्र श्री मंगलराम,
7. श्री सीताराम सैनी पुत्र श्री मंगलराम,
8. श्री शैतान पुत्र श्री मंगलराम,
9. श्री नानगराम पुत्र श्री किशना,
10. श्री बसंती लाल पुत्र श्री किशना,
11. श्री कमलेश पुत्र श्री किशना,

समस्त जाति माली निवासी ग्राम सायपुरा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्व सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 215/2025 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 156/2025 ब उनवानी राजेश बनाम जगदीश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नेमीचंद जलवानियां, अधिवक्ता प्रार्थी श्री राजेश की ओर से।

निर्णय दिनांक 18.09.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 215/2025 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 156/2025 ब उनवानी राजेश बनाम जगदीश व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार श्री राजेश की ओर से अधिवक्ता श्री नेमीचंद जलवानियां ने उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण में विवादाग्रस्त आराजी प्रार्थी के बेशकीमती आराजी है, जिस पर स्थानीय राजनैतिक लोगों की कुदृष्टि है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 उक्त स्थानीय नेताओं के संपर्क में होने तथा अपने राजनैतिक पहुंच से पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में ले रखा है, जिसके कारण पीठासीन अधिकारी नियम कायदा कानूनों को ताक में रखकर विधि विरुद्ध तरीके से कार्यवाही करने पर आमादा है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 13 से मिल गए है, तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असंभव है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में छोटी–छोटी तारीख पेशियां नियत की जा रही है एवं पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण को न्यायिक विवेक एवं न्यायिक कार्यवाही के तहत निस्तारण करने के इच्छुक नहीं है, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में निष्पक्ष एवं ईमानदारी से न्याय किए जाने की अपेक्षा नहीं रही है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार प्रार्थी राजेश के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। पूर्व में भी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ में लम्बित उक्त प्रकरणों को स्थानान्तरित करने हेतु न्यायालय जिला कलक्टर महोदय के समक्ष मुंतकिल प्रार्थना पत्र संख्या 209/2025 पेश किया गया, जिसमें भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी राजेश को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 से 13 का कथन अंकित किया है। प्रार्थी अप्रार्थी राजेश को पक्षकार नहीं बनाकर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कारित कर रहा है एवं पूर्व में प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से अधीनस्थ न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया। अब पुनः इन्हीं प्रकरणों में मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का उद्देश्य मात्र निस्तारण में विलम्ब कारित करना है। इसलिए काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास

जिला कलक्टर
जयपुर

के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर